

भाग -III**हरियाणा सरकार****तकनीकी शिक्षा विभाग****अधिसूचना**

दिनांक 21 जून, 2017

संख्या का०आ० 48/ह०अ० 21/2009/घा० 3क/2017 - वाई०एम०सी०ए० विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फरीदाबाद अधिनियम, 2009 (2009 का 21), की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, विनिर्दिष्ट करते हैं कि शैक्षणिक सत्र 2017-18 से वाई.एम.सी.ए. विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फरीदाबाद जिला पलवल और फरीदाबाद में स्थित सभी (सरकारी तथा गैर सरकारी) बी०एड० और इंजीनियरी महाविद्यालयों पर, अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा। उपरोक्त महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2017-18 से पूर्व प्रविष्ट छात्र वाई.एम.सी.ए.विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फरीदाबाद के छात्र बन जायेंगे। तथापि, वे अपने पाठ्यक्रमों/अध्ययनों के शेष भाग के लिए संबंधित सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षित तथा प्रमाणित किए जाएंगे।

अनिल मलिक,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
तकनीकी शिक्षा विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT

Notification

The 21st June, 2017

No. S.O. 48/H.A. 21/2009/S. 3A/2017.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of YMCA University of Science and Technology Faridabad Act, 2009 (21 of 2009), the Governor of Haryana hereby specifies that with effect from the academic session 2017-18, YMCA University of Science and Technology, Faridabad shall exercise its powers, over all the B.Ed and Engineering colleges (Government and Non-Government) situated in the districts of Faridabad and Palwal. The Students admitted prior to session 2017-18 in the aforesaid colleges shall become the students of YMCA University of Science and Technology, Faridabad. However, they shall be examined and certified by the respective affiliated University for the remaining part of their courses/studies.

ANIL MALIK,
Principal Secretary to Government Haryana,
Technical Education Department.